दिनांक :- 27-07-2020

कॉलेज का नाम :- मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा

लेखक का नाम :- डॉ. फारूक आज़म (अतिथि शिक्षक)

स्नातक :- प्रथम खंड (कला)

विभाग :- प्राचीन इतिहास

इकाई :- तीन

पत्र :- प्रथम

अध्याय :- गुप्त काल

सामाजिक संगठन :- ब्राह्मण: गुप्त कालीन समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। ब्राह्मणों के निम्नलिखित कर्त्तव्य थे। अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। ब्राह्मणों में भी उप जातियाँ विकसित हो गई थी। वेदों के अध्ययन में ध्यान में रखकर उनका विभाजन किया गया था

Scanned with CamScanner

यजुर्वेदी ब्राह्मण : उड़ीसा, तेलंगाना, कोशल और मध्यक्षेत्र मे थे (शंकराचार्य के पिता यजुर्वेदी ब्राह्मण थे)।

सामवेदी ब्राह्मण : उड़ीसा, तेलंगाना कोशल और मध्यक्षेत्र मे थे

अथर्ववेदी ब्राह्मण : मैसूर, बेलगाँव और वल्लभी मे रहते थे।

त्रैऋग्वैदिक ब्राह्मणो की चर्चा गुप्तकाल मे नही मिलती है

उत्तर भारत मे अंतर्वेदी ब्राह्मण, राजस्थान मे श्रीमाली ब्राह्मण और गुजरात मे नागर ब्राह्मण अपने को अन्य ब्राह्मणो से श्रेष्ठ मानते है।

वैसे ब्राह्मणो का मुख्य कार्य धार्मिक था परंतु वे अन्य प्रकार का पेशा भी अपनाने लगे उदाहरण के लिए मृच्छकटिकम् का नायक चारुदत्त ब्राह्मण होते हुए भी सार्थवाह था

मयूरशर्मन नामक एक ब्राह्मण ने वनवासी की कदंब वंश की स्थापना की तथा 18 बार अश्वमेध यज्ञ किए। परासर स्मृति मे प्रथम बार कृषि को ब्राह्मण वर्ण की वृत्ति निरूपित किया गया है

स्मृतिग्रंथों में ब्राह्मणों को आपद्धर्म के समय अन्य पेशा अपनाने की अनुमति दी गई है।

जिस तरह कौटिल्य ने विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न वस्तुओं का विधान किया है उसी प्रकार वराहमिहिर ने विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न वास्तुओं का विधान किया है वराहमिहिर के अनुसार ब्राह्मण के मकान में 5 कमरे क्षत्रिय के मकान में चार, वैश्य के मकान में 3 और शूद्र के मकान में दो कमरे होने चाहिए न्याय व्यवस्था में भी वर्ण भेद को ध्यान में रखा गया था ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की परीक्षा जल से तथा शूद्र की परीक्षा विष से की जानी चाहिए

बृहस्पति तथा नारद का मानना है कि सभी वर्णों से सभी परिक्षाएँ कराई जा सकती थी, केवल विष वाली परीक्षा ब्राह्मण से नहीं कराई जा सकती थी।

Scanned with CamScanner

साक्षी के विषय में बृहस्पति का मानना है कि साक्षी कुलीन हो, तथा वह नियमपूर्वक वेदों एवं स्मृतियों का अध्ययन करता हो। कात्यायन के अनुसार गवाही की जाति प्रति वादी की जाति के समान हो परंतु नारद इस बात का खंडन करते है और उनका मानना है कि सभी वर्ण के लोग एक दूसरे के साक्षी हो सकते है।

दंड व्यवस्था भी वर्ण पर आधारित थी। महाभारत के शांति पूर्व में कहा गया है कि अगर कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या करे तो उसे अलग दंड दिया जाय। नारद के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण के अपराध सबसे ज्यादा और शूद्र का अपराध सबसे कम होता था।

विष्णु ने हत्या के पाप में शुद्धि के संदर्भ में ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की हत्या के लिए क्रमशः 12, 9 और 3 वर्ष का महाव्रत नामक तप बताया।

Scanned with CamScanner

धर्मविधि में यह नियम बना रहा कि उच्च वर्णों के शूद्र पुत्र को सम्पत्ति में सबसे कम हिस्सा मिले। परंतु वर्ण व्यवस्था सूचारू रूप से नहीं चल रही थी क्योंकि महाभारत के शांति पर्व के कम से कम नौ पदों में ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच सहयोग की बात उठाई गई है। इससे आभास होता है कि ऊपर के वर्णों को वैश्यों एवं शूद्रों के विरोध का भय था।

क्षत्रिय:- मनु के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, दान करना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, विषयों में आसक्त न रहना क्षत्रियों का कर्तव्य था। ह्वेनसांग ने क्षत्रियों को निर्दोष, सरल, पवित्र, सीधा-साधा तथा मितव्ययी कहा है।

मनु के अनुसार 10 वर्षीय ब्राह्मण भी 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। उसके अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय पिता और पुत्र के समान हैं। गुप्तकाल के क्षत्रिय द्वारा अपने से नीचे वर्ण के व्यवसाय अपनाये जाने की भी उदाहरण मिलता है।

Scanned with CamScanner

इंदौर से प्राप्त स्कंदगुप्त के काल के एक अभिलेख के अनुसार क्षत्रिय लोग वैश्य का भी कार्य करते थे।

वैश्य :- अमरकोष में वैश्य के लिए कृषक शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु नारद और याज्ञवल्क्य से ज्ञात होता है कि अधिक उपज पर शूद्रों को खेत दिया जाता था।

रामशरण शर्मा के अनुसार गुप्त काल में वैश्यों का कार्य आर्थिक नीति का संचालन माना जा सकता है परंतु उनकी स्थिति समाज में शूद्रों के समकक्ष हो गई और इसका प्रधान कारण है वैश्यों का अध्ययन एवं यज्ञ करने से विरत होना है। महाभारत में मद्य, लोहा और चमड़ा जैसी वस्तुओं को बेचना वैश्यों के लिए भी निषिद्ध माना गया था। तथा यह व्यवस्था की गई थी कि गौ, ब्राह्मण एवं वर्ण की रक्षा के लिए वैश्य भी शस्त्र ग्रहण कर सकते थे।

ह्वेनसांग ने वैश्यों को व्यापारी जाति का माना है, पुराणों

के अनुसार वैश्यों का कार्य पशुपालन कृषि तथा वाणिज्य है

शूद्रः- याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र को संपत्ति का अधिकारी माना है। परंतु बृहस्पति नहीं मानते हैं। मनु ने शूद्रों को सेवावृत्ति पर बहुत बल दिया था परंतु याज्ञवल्क्य का दृष्टिकोण उदार है। उसने शूद्रों को व्यापारी कृषक एवं कारीगर होने की अनुमति दी।

कुछ शूद्रों ने सैनिक वृत्ति को भी अपनाया जैसे ह्वेनसांग के अनुसार मतिपुर का राजा शूद्र था। गुप्तकाल के धर्मशास्त्री ने स्पष्ट रूप से दासों और अस्पृश्यों से शूद्रों को भिन्न बताया है। वैश्य लोगों से शूद्रों को भिन्न बताया गया है। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर कुछ शूद्रों प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था वायु पुराण के अनुसार शिल्प एवं भृति शूद्रों के लिए दो प्रमुख कर्तव्य माने गये हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार" अगर शूद्र भक्ति में निमग्न है तो